पंचायत आम निर्वाचन,
2021
अत्यावश्यक

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

पत्र संख्या- पं.नि. 30-239/2021 3582

प्रेषक,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

पटना, दिनांक – 8.9.21

विषय : त्रिस्तरीय पंचायत निकायों/ग्राम कचहरी का निर्वाचन, 2021 — मतदान के दिन मंत्रियों/सांसदों/विधायकों/पार्षदों द्वारा क्षेत्र में दौरे पर पाबन्दी के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि विगत पंचायत निर्वाचनों के दौरान आयोग को ऐसी कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि राज्य सरकार के कई मंत्रियों/विधायकों द्वारा मतदान की तिथि को मतदान केन्द्र पर जाकर मतदाताओं तथा मतदान कर्मियों को उम्मीदवार विशेष के पक्ष में वोट डालने के लिए दवाब डाला गया था। कतिपय मंत्रियों द्वारा सरकारी वाहनों तथा उनके साथ प्रतिनियुक्त सुरक्षा बलों का दुरुपयोग करते हुए मतदाताओं/मतदानकर्मियों को प्रभावित करने की भी शिकायतें आयोग को तत्समय प्राप्त हुई थीं।

2. ऐसी घटनाओं से निर्वाचन की निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता संदेह के घेरे में आ जाती है तथा मतदान प्रक्रिया दूषित होने की प्रबल संभावना बनती है। उक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग का निम्नांकित दिशा-निर्देश संसूचित किया जाता है, जिसका क्रियान्यवयन सुनिश्चित करना जिला प्रशासन का दायित्व होगा –

मतदान की तिथि के पूर्व की संध्या 5 बजे से मतदान की समाप्ति तक कोई भी मंत्री या विधायक/पार्षद/सांसद को उन क्षेत्रों में, जहाँ मतदान कराया जा रहा है, दौरे पर जाने नहीं दिया जायेगा। परन्तु यदि किसी मंत्री या विधायक/पार्षद/सांसद का नाम किसी पंचायत निर्वाचन की मतदाता सूची में दर्ज है और वे इस निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हों तो उन्हें सिर्फ अपना वोट डालने हेतु संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के लिए स्थापित मतदान केन्द्र में जाने की अनुमति दी जायेगी; अपना वोट डालने के तुरत बाद वे क्षेत्र से बाहर चले जायेंगे। मतदान केन्द्र पर जाने तथा मतदान केन्द्र से वापस आने के लिए वे सरकारी वाहन का उपयोग नहीं करेंगे। परन्तु मंत्री की सुरक्षा हेतु सरकार की ओर से प्रतिनियुक्त सशस्त्र बल एवं सरकारी वाहन का वे इस्तेमाल कर सकेगें। प्रतिनियुक्त अंगरक्षक/सशस्त्र बल मतदान केन्द्र परिसर में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि मतदान केन्द्र परिसर के बाहर मंत्री/सांसद/विधायक की वापसी की प्रतीक्षा करेंगे।

उपर्युक्त पाबन्दियाँ मतदान की तिथि के अतिरिक्त मतगणना अवधि में भी लागू रहेंगी। परन्तु यदि किसी प्राकृतिक आपदा तथा साम्प्रदायिक दंगा-हंगामा के दौरान मंत्री तथा विधायक/सांसद

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmailcom

को प्रशासन को मदद करने हेतु तथा क्षेत्र में अमन-चैन बनाए रखने हेतु सम्बन्धित क्षेत्र में दौरा पर जाना आवश्यक हो, तो उक्त परिस्थिति में ये पाबन्दियाँ लागू नहीं होंगी।

3. कंडिका -2 में उल्लिखित इन पाबन्दियों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार निरोधात्मक कार्रवाई (Preventive action) की जायेगी एवं इसके उल्लंघन के दोषी पाये जाने पर संबंधित व्यक्तियों पर धारा 188 भारतीय दंड संहिता के अधीन कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि निदेश की अनदेखी करने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी ठहराए जायेंगे।

निदेशानुसार अनुरोध है कि उपर्युक्त दिशा निदेशों का सख्तीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

सचिव।

ज्ञापांक – पं.नि. 30-239/ 2021 3582 पटना, दिनांक – 8.9.21

प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक – पं.नि. 30-239/ 2021 3582 पटना, दिनांक – 8.9.21

प्रतिलिपि, सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक – पं.नि. 30-239/ 2021 3582 पटना, दिनांक – 8.9.21

प्रतिलिपि, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेश, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक – पं.नि. 30-239/ 2021 3582 पटना, दिनांक – 8.9.21

प्रतिलिपि, अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक – पं.नि. 30-239/ 2021 3582 पटना, दिनांक – 8.9.21

प्रतिलिपि, मुख्य सचिव, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव।